दिल्ली विधान सभा

संशोधित कार्य सूची

शुक्रवार, 26 अगस्त, 1994 /भाद्रपद 5, 1916 (शक)

अपराह्न 2.00 बजे

प्रश्न

1. पृथक सूची में दिये गये प्रश्न पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. किराड़ी गाँव में मकान गिराए जाने पर चर्चा ।

3. अल्प सूचना प्रश्न
पृथक सूची में दिया गया अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर दिया जाएगा ।

विशेष उल्लेख

4. सदस्यों द्वारा पृथक सूची में दिये गये मामलों का उल्लेख किया जायेगा ।

ध्यानाकर्षण

5. श्री राजेश शर्मा :

मुख्य मंत्री का ध्यान दिल्ली शासन द्वारा सिविल सेवा अधिकारियों में बेचैनी एवं रोष तथा उनके मनोबल गिरने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करेंगे ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

6. (क) श्री लाल बिहारी तिवारी, खाद्य एवं सम्भरण मंत्री एक वक्तव्य देंगे ।

(ख) डा० हर्ष वर्धन, स्वास्थ्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे ।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

7. (1) श्री नन्द किशोर गर्ग द्वारा 25.3.94 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा :

"यह सदन यह सिफारिश करता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों और महा-विद्यालयों के लिए रियायती दर पर भूमि प्रदान की जाए ।"

(2) श्री मुकेश शर्मा :

"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में 31 मार्च, 1993 तक बसी हुई सभी अनधिकृत कालोनियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देकर बिजली और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा उनमें खड़ंजे लगाने व बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए।"

....2..

3. श्री नन्द किशोर गर्ग यह प्रस्ताव करेंगे कि :

" यह सदन संकल्प करता है कि सभी आवासीय व्यवसायिक, संस्थानिक व औद्योगिक संपत्तियां, जो कि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली राज्य उद्योग विकास निगम, उद्योग निदेशालय, स्लम विंग इत्यादि ने पट्टे (लीज) पर दी हैं, को उचित राशि (प्रीमियम) लेकर फ्री-होल्ड कर दिया जाये । यह सदन भारत सरकार से भी सिफारिश करता है कि वे सभी सम्पत्तियां, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा एल. एण्ड डी.ओ. ने पट्टे (लीज) पर दी हैं, उनको भी उचित राशि (प्रीमियम) लेकर फ्री-होल्ड कर दे ।"

4. श्री मेवा राम आर्य यह प्रस्ताव करेंगे कि :

"चूंकि दिल्ली में पूर्ण अधिकार प्राप्त विधान सभा न होने के कारण दिल्ली के नागरिक अपनी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाने के अपने मूल अधिकार से वंचित हैं,

चूंकि वे भूमि, पुलिस, सेवाओं पर नियंत्रण, वित्त आदि जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भी अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं,

इसलिए दिल्ली में जन सामान्य के हितों को सुरक्षित करने के लिए यह सदन केन्द्रीय सरकार से यह पुरजोर मांग करता है कि वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करे ।"

5. श्री गौरी शंकर भारद्वाज यह प्रस्ताव करेंगे कि :

" यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली राज्य के विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम की सभी विषय की पुस्तकों से उन सभी असत्य, भ्रामक व विकृत अंशों को निकाल दिया जाये जो ऐतिहासिक तथ्यों, पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा प्रमाणित निष्कर्षों तथा भारतीय संस्कृति व जीवन मूल्यों की मूलभूत धारणाओं व मान्यताओं एवं राष्ट्रीय अस्मिता के विरूद्ध हैं । उक्त सभी मिथ्या व अपमानजनक अंशों के स्थान पर वैदिक वाङ्मय में निहित तथ्यपूर्ण एवं राष्ट्रीय अस्मिता व गौरव को दिग्दर्शित करने वाले अंश समाविष्ट किये जाएं ।"

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

विधेयकों पर विचार.

6. कु0 पूर्णिमा सेठी प्रस्ताव करेंगी कि यह सदन बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनिवार्य न्यूनतम शिक्षा तथा उसके उचित विकास के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले अन्य कल्याणकारी उपायों तथा इससे जुड़े मामलों से संबंधित एक विधेयक पर चर्चा करे । — बालिका (अनिवार्य शिक्षा, पालन-पोषण तथा कल्याण विधेयक) 1994. (1994 का विधेयक सं. 8)

7. कु0 पूर्णिमा सेठी प्रस्ताव करेंगी कि यह सदन बाल श्रम को समाप्ति का व्यवस्था करने और बाल श्रमिकों के लिये शासन द्वारा किये जाने वाले कल्याण तथा पुनर्वास के प्रबंध के लिये तथा बाल श्रम को समाप्ति के पश्चात् उन्हें किसी धा व्यवसाय या धंधे तथा इससे संबद्ध विषयों में शिक्षण प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान करके उनके पुनर्वास का व्यवस्था के लिये एक विधेयक पर चर्चा करे । — बाल श्रम समाप्त कल्याण एवं पुनर्वास विधेयक, 1994. (1994 का विधेयक सं. 9)

8. श्री जग प्रवेश चन्द्र यह प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोपों की जांच करने के लिये तथा इससे संबद्ध विषयों के लिए लोकायुक्त का नियुक्ति का व्यवस्था करने के लिए एक विधेयक पर चर्चा करे । — दिल्ली लोकायुक्त विधेयक, 1994.

दिल्ली ।
25 अगस्त, 1994.

पा.एन. गुप्ता
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

REVISED LIST OF BUSINESS

Friday, August, 26, 1994/Bhadra Pad 5, 1916 (Saka)

14.00 Hours

Questions

1. Questions entered in a separate list to be asked and answers given.

Discussion

2. Discussion on demolitions in village Kirari.

Short Notice Question

3. Short notice Question entered in a separate list to be asked and answers given.

Special Mentions

4. Matters to be raised by members given in a separate list.

Calling Attention

5. Shri Rajesh Sharma:

to call the attention of Chief Minister to the situation arising due to unrest, resentment and demoralisation of DANI Civil Service Officers who are backbone of the Government of Delhi.

Statement by Minister

6. (a) Shri Lal Bihari Tiwari Minister for Food & Supplies to make a statement.

(b) Dr. Harshvardhan, Minister for Health, to make a statement.

Private Members' Resolutions

7. (1) FURTHER DISCUSSION on the following Resolution moved by Shri Nand Kishore Garg on the 25th March, 1994:-

"That this House recommends that land for schools and colleges be given at concessional rates by D.D.A.".

(2) Shri Mukesh Sharma to move the following Resolution:

"This House resolves that by issuing no objection certificates to such unauthorised colonies which were inhabited by 31.3.1993 facilities like electricity, drinking water, laying of brick pavements and draining out of rainy water be made available".

(3) Shri Nand Kishore Garg to move the following Resolution:-

"This House resolves that all residential, commercial and industrial and institutional properties leased out by MCD, DSIDC, Directorate of Industries, Slum Wing of MCD etc. be made free-hold after payment of reasonable premium. It also recommends to Central Government to convert all lease hold properties into free-hold which have been leased out by DDA and L&DC."

(4) Shri Mewa Ram Arya to move the following Resolution:-

"Whereas in the absence of a fully empowered Legislative Assembly, the citizens of Delhi are deprived of their basic right of enacting necessary Legislation to meet their social and economic need through their elected representatives;

Whereas they are also deprived of an effective voice in vital matters like Land, Police, control over Services, Finance etc.;

Therefore, this House strongly recommends to the Central Government that Delhi be granted Statehood to safeguard the interest of the people in general."

(5) Shri Gauri Shanker Bhardwaj to move the following Resolution;

"This House resolves that all such unfounded, fallacious and distorted portions which are contrary to the historical facts and established conclusions by the archaeologists and which are against the Indian Cultural values of life and basic concepts of a rational identity be omitted from the text books prescribed in the schools of Delhi and in lieu of all such untruthful derogatory portions, such portions which established national identity and dignity as are envisaged by Vedic Literature be included."

Private Members' Bills
Consideration of Legislative Proposal

8. Km. Purnima Sethi to move that the Bill to provide for the free and compulsory minimum education for the girl child and other welfare measures to be undertaken by the State for her proper development and for matters connected therewith be taken into consideration.

The Girl Child (Compulsory Education, Upbringing & Welfare) Bill, 1994. (Bill No.8 of 1994)

9.	Km. Purnima Sethi to move that the Bill to provide for the abolition of Child Labour and to provide for Welfare and rehabilitation to be undertaken by the Govt. for Child labour and after their abolition for rehabilitation of those through education training, specialisation in the same trade, or vocation and the matters connected therewith, be taken into consideration.	The Child Labour (Abolition, Welfare and Rehabilitation) Bill, 1994. (Bill No. 9 of 1994)
10.	Shri Jag Parvesh Chandra to move that the Bill to provide for the appointment of Lokayukta to inquire the allegations of corruption against Ministers and for matters connected therewith be taken into consideration.	The Delhi Lokayukta Bill, 1994. (Bill No. 10 of 1994).

Delhi

25th August, 1994.

P.N. GUPTA
SECRETARY